निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 माघ 1937 (श0)

(सं0 पटना 129) पटना, सोमवार, 8 फरवरी 2016

सं0 **08/आरोप–01–54/2014,सा०प्र०—17290**

सामान्य प्रशासन विभाग

———————

संकल्प

16 दिसम्बर 2015

श्रीमती सुषमा, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–1106/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, गड़हनी, भोजपुर सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के विरूद्ध इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता आदि के ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–8351, दिनांक 14.09.2009 द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर संकल्प ज्ञापांक–9292, दिनांक 14.06.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन का निर्णय लिया गया था। आरोप एवं जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर सम्यक् विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती सुषमा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) में नियम 2005 के सुसंगत प्रावधान के तहत संकल्प ज्ञापांक–918, दिनांक 20.01.2015 द्वारा निन्दन की शास्ति अधिरोपित की गयी।

श्रीमती सुषमा द्वारा उक्त शास्ति को निरस्त करने हेतु पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया। उनका कहना है कि जाँच पदाधिकारी ने योजना में कार्यान्वयन में निरीक्षण की कमी के कारण दृष्टिगत चुक के लिए Advisory निर्गत करने की आवश्यकता बताया थी, परन्तु उन्हें आरोप वर्ष के प्रभाव से निन्दन की शास्ति दी गयी। उनका यह भी कहना है कि लाभुकों का सत्यापन बी०पी०एल० सूची से किया गया था जिसे जाँच में सही पाया गया एवं संचालन पदाधिकारी ने भी आरोप को प्रमाणित नहीं पाया तो वैसे स्थिति में निन्दन की शास्ति नही दी जाय।

जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के स्तर पर अनियमितता के आरोप प्रमाणित नहीं हुए परन्तु इन्दिरा आवास योजना, जो समाज के सब से कमजोर वर्गो के लिए है, उसके कार्यान्वयन एवं लाभुकों से इन्दिरा आवास को

ससमय निर्माण करने तथा बिचौलियों से बचाने का दात्यिव भी संबंधित पदाधिकारियों का होता है। जाँच पदाधिकारी ने भी योजना के कार्यान्वयन में निरीक्षण की कमी एवं सजगता की कमी को आरोप सं०–02 एवं 04 के निष्कर्ष में बताया है। आरोपित पदाधिकारी इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में निरीक्षण एवं सजगता के लिए दोषी सिद्ध हुई।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा श्रीमती सुषमा, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–1106/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, गड़हनी, भोजपुर सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 03.03.2015 को सम्यक् विचारोपरांत अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। तद्लोक में श्रीमती सुषमा द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 03.03.2015 अस्वीकृत किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

केशव कुमार सिंह,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 129-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in